तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज रिविजन 51/2014 जोधपुर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्मकी तामील में जारी हुए
16.5.14	DB जोधपुर श्री जे.आर. लोहिया, सदस्य श्री अमर सिंह-सदस्य [illegible] श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित। [illegible] शर्मा उपस्थित [illegible] अपीलीय प्राधिकारी [illegible] III जोधपुर [illegible] किया गया है जिसमें उन्होंने कर बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से वेट अधिनियम की धारा 83 [illegible] 38(4) अपील सं. 147 व 148/14/JPR के पारित किये गये स्थगन आदेश व निर्देश के पालन के बिना अपीलीय अपील निस्तारण नहीं करने के कारण [illegible] का निवेदन किया कि [illegible] के तहत [illegible] निवेदन किया है। उक्त वर्णित अपील सं. 147 व 148 की पत्रावली का अवलोकन किया गया, कर बोर्ड की वेबसाइट के दिनांक 5.2.14 के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत [illegible] अपील जिसमें धारा 38(4) के तहत बकाया पर [illegible] जाने का निवेदन किया था। [illegible] पारित करते हुए अपीलीय अधिकारी को [illegible] अपील 3 माह में निस्तारण करने के निर्देश के साथ बकाया पर रोक लगाई गई थी। अपीलीय अधिकारी [illegible] दिनांक 30.5.14 को [illegible] निस्तारण [illegible] निवेदन किया। अतः [illegible] अपीलीय अधिकारी के समक्ष [illegible] अपील दिनांक 31.7.2014 तक निस्तारित किये जाने निर्देश दिये जाते हैं। पूर्व आदेशानुसार रिकवरी दिनांक 31.7.2014 तक स्थगित रहेगी। 16/5/14	